बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- ग्रा0का0-4 (ग्रा0)-3054-04-04/2019- 5976 /पटना, दिनांक-30/10/19

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

SL. NO	Name of Division	Block	Name of Road	Length (In KM)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) In Lakhs	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	Sonepur	Parsa	Parsa Hasanpura Road To Anican	4.900	114.6650	57.9840	11.4665	184.1155
2	Sonpur	Dighwara	Bisunpur - Pursotimpur	3.000	69.0200	34.5950	6.9020	110.5170
3	Sonpur	Darispur	Sonepur Rewaghat - Dardiara Nisak	5.260	122.6750	64.3140	12.2675	199.2565
4	Sonpur	Dariapur	Dabela - Bakhiya	3.900	90.5600	45.6320	9.0560	145.2480
5	Sonpur	Dariapur	Dighwara Bheldi Road Bishambharpur - Sangha via Balchapara	4.400	99.9750	51.6640	9.9975	161.6365
6	Sonpur	Dariapur	Nunfar - Sisauni Kothiya Road	6.000	143.5480	72.9750	14.3548	230.8778
7	Sonpur	Dariapur	Sitalpur Parsa Road Via Nagwa - Jagdishpur	2.500	60.9240	30.6950	6.0924	97.7114
8	Sonpur	Maker	Maker Mkhtab to amnour reo road via baghkol	4.000	92.7630	44.7560	9.2763	146.7953
9	Sonpur	Maker	Chapra jila antargat maker panchayat lakshi kaituka natak sala bazar se panchayat bhawan lakshi kamuka hote hue anusuchit jati tola (nat tola) hote hue madhya vidhyalay piprahi mukhya sarak tak path nirman	2.300	52.3280	26.3900	5.2328	83.9508
Total				36.260	846.45800	429.00500	84.64580	1360.10880

1. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमण्डल, भोजपुर योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्य प्राक्कलन की विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।
2. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के तहत MBD आधारित ई-निविदा से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
3. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पटना का अनुमोदन संचिका संख्या-यो0आ0-4 (यो0)-3054-04-64/2019 में दिनांक 01.06.2019 एवं 15.07.2019 को प्राप्त है।
4. सारणी में अंकित समस्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक- 16.10.19 को संचिका संख्या- यो0आ0-4 (यो0)-3054-04-94/2019 में अनुमोदन प्राप्त है।
5. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से तकनीकि स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
6. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से आच्छादित नहीं हो।
8. संबंधित योजना U/SRI कैटगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरांत ही योजना कार्यान्वित की जाय।
9. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर बाद्य के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
10. वित्त विभाग के संकल्प सं0-3760 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
11. उक्त राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
12. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
13. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
14. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को ससमय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएंगे।

15\. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–गु0आ0–4 (गु0)–3054-04–94/2019 के पृ0– 19/टि0 पर दिनांक– 25.10.19. को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

28/10/19

(संजय दूबे)

अपर सचिव

ज्ञापांक– गु0आ0–4 (गु0)–3054–04–94/2019 5976 /पटना, दिनांक–30/10/19

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/10/19

अपर सचिव

ज्ञापांक – गु0आ0–4 (गु0)–3054–04–94/2019 5976 /पटना, दिनांक–30/10/19

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत/जिला पदाधिकारी, छपरा /उप विकास आयुक्त, छपरा /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–3 एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, छपरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, सोनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

28/10/19

अपर सचिव